# छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर

Phone No. 0771-2434309, FAX – 0771-2429385 ; website: www.cgbse.nic.in


क्र./2895 / डाटा /2026 रायपुर, दिनांक 24/7/26

प्रति,

समस्त मान्यता प्राप्त संस्थायें,
छत्तीसगढ़।

**विषयः शैक्षणिक सत्र 2026–27 कक्षा 09 से 12 तक के छात्र/छात्राओं के ऑन–लाईन प्रविष्टि हेतु APAAR ID की अनिवार्यता में आंशिक छूट दिये जाने विषयक।**

———————

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि APAAR ID, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप शुरू किए गए एक राष्ट्र, एक छात्र आईडी कार्यक्रम का हिस्सा है। मण्डल से मान्यता प्राप्त संस्थाओं से निम्न कारणों से APAAR ID नहीं बनने संबंधी पत्र प्राप्त हुये हैं–

1. विद्यालय और आधार कार्ड में छात्रों का अलग–अलग डाटा होना।
2. आधार कार्ड की सुधार प्रक्रिया में अधिक समय लगना।

अतः कक्षा 9वीं से 12वीं तक ऑन लाईन प्रविष्टि संबंधी कार्य के लिये समस्त मान्यता प्राप्त संस्थाओं को निर्देर्शित किया जाता है कि समस्त छात्र/छात्राओं की ऑन लाईन प्रविष्टि करते समय APAAR ID की प्रविष्टि किया जावे तथा जिन छात्र/छात्राओं के APAAR ID किन्हीं कारणों से नहीं बन पाये हैं APAAR ID के सम्मुख NO अंकित किया जावे।

मण्डल पोर्टल में जिन छात्रों के APAAR ID संस्था द्वारा प्रविष्टि नहीं की गई है उन छात्रों के APAAR ID अपडेट करने की सुविधा दी जावेगी। उक्त छात्रों के APAAR ID बनने के पश्चात् विद्या पोर्टल में डेटा अपडेट किया जावे।

अतः संस्था समस्त छात्र/छात्राओं की ऑन लाईन प्रविष्टि एवं शुल्क भुगतान संबंधी समस्त कार्य निर्धारित समय–सीमा में ही पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें।

23/7/26

सचिव
छ.ग. माध्यमिक शिक्षा मण्डल
O/C रायपुर